न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर , शिविर भोपाल म.प्र.

रा. पु. याचिका क्रं. - R-2652-PBR/14

प्रस्तुत दि0 - 14/8/14

श्री जीवनराम जूनिया अभिभावक द्वारा आज दिनांक 14-8-14 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत।
14-8-14

याचिकाकर्ता - मधुसूधन आत्मज प्रदीप कुमार दुबे जाति ब्राहम्मण उम्र लगभग 29 वर्ष निवासी जवाहर चौक भोपाल म.प्र.

बनाम

उत्तरवादी- खेमचंद चौकसे आत्मज मुकुंदराम चौकसे निवासी वार्ड क्रं. फेल मोहल्ला स्टेशन बनापुरा तहसील सिवनी मालवा, जि होशंगाबाद

पुर्नरिक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू रा.सं.

20-8-14

याचिकाकर्ता निम्नानुसार निवेदन है -

{1}- यह कि, याचिकाकर्ता अधीक्षक भूअभिलेख होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.4.14, जिसका की क्रं. ~~[illegible]~~ 1242 /भू-अ./ पी.जी. सेल / न क 523 /2014 है जो कि ग्राम चंदवार तहसील डोलरिया स्थित भूमि ख.नं. 82, रकवा 0.433 हे. , ख.नं. 85/3 रकवा 0.911 हे. और ख.नं. 89/3, रकवा 1.598 हे0, कुल योग रकवा 2.942 हे. से विच्छुद एवं दुखी होकर निम्नलिखित तथ्यो एवं आधारो पर यह पुर्नरिक्षण याचिका प्रस्तुत करता है -

याचिका के तथ्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 2652–पीबीआर/14 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–8–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अधीक्षक, भू–अभिलेख के आदेश दिनांक 25–4–2014 एवं सीमाकंन कार्यवाही दिनांक 4–6–2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । प्रथमतः आवेदक की ओर से अधीक्षक भू–अभिलेख के आदेश दिनांक 25–4–2014 एवं सीमाकंन कार्यवाही दिनांक 4–6–2014 के विरूद्ध एक ही निगरानी प्रस्तुत की गई है, जबकि विधि अनुसार आदेश एवं कार्यवाही के विरूद्ध पृथक–पृथक निगरानी प्रस्तुत की जानी चाहिये थी । इसके अतिरिक्त अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा आदेश दिनांक 25–4–2014 से सीमाकंन दल का गठन किया गया है और दिनांक 4–6–2014 को सीमाकंन कार्यवाही की गई है, अभी प्रकरण में सीमाकंन आदेश पारित नहीं किया गया है, अतः आवेदक को अधीक्षक भू–अभिलेख के समक्ष सुनवाई का अवसर उपलब्ध है, और वह इस न्यायालय में उठाये गये आधारों को उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	